न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी नि.गा – 2890-PBR-16

पार्थी अभिभाषक श्री दिनेश CWR
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 17-8-16 17-8-16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

जगदीश कुमार पिता अम्बाराम, जाति बलाई,
निवासी–ग्राम नारायणगढ़, तहसील व जिला शाजापुर
.......आवेदक

----विरूद्ध--

कलाबाई पति चरणगीर, निवासी–निपानिया, डाबी
तह. व जिला शाजापुर ....अनावेदक

81 17/8/16

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 341/अ–12/15–16 में पारित सीमांकन आदेश 11-7-16 तथा पालन में किये गये सीमांकन रिपोर्ट एवम् पंचनामा से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आवेदक की पीठ, पीछे एकपक्षीय रूप से सीमांकन किया गया है तथा वह सीमांकन भी विधिवत् राजस्व निरीक्षक द्वारा नही करते हुए पटवारी द्वारा किया गया है जो प्राथमिक दृष्टि में ही विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

03. यह कि, आवेदक की भूमि सर्वे क्रं. 235 जो वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रं. 245 से लगी हुई है । आवेदक पड़ोसी कृषक हैं किन्तु आवेदक को कोई सूचना दिये बगैर पटवारी द्वारा विधान एवम् नियमों के विपरीत जाकर धारा 129 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान के विपरीत जाकर जो सीमांकन किया गया है तथा सीमांकन रिपोर्ट तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं उस रिपोर्ट में भी कोई दिनांक अंकित नही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह रिपोर्ट विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2890–पीबीआर/2016 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील व जिला शाजापुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश से तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर सीमांकन के आदेश दिये गये हैं और उक्त आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर से तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–7–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार द्वारा की गई उक्त कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	